



श्रीमती वसुन्धरा राजे
माननीया मुख्यमंत्री, राजस्थान

आपके उद्यम की पहचान आपका 'बिज़नेस रजिस्ट्रेशन'



क्या है 'बिज़नेस रजिस्ट्रेशन'?

- राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 21/9/2016 के निर्देशानुसार अब हर व्यवसायी को 'बिज़नेस रजिस्ट्रेशन नम्बर' लेना अनिवार्य है
- यह 'बिज़नेस रजिस्ट्रेशन' पहले से स्थापित और नए व्यवसायिक प्रतिष्ठानों – दोनों के लिए आवश्यक है
- रजिस्ट्रेशन होने पर 16 अंकों का बी.आर. नंबर मिलता है जो आपके बिज़नेस की पहचान है
- यह रजिस्ट्रेशन निःशुल्क जारी किया जाता है

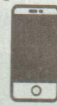


आवेदन/रजिस्ट्रेशन करना हुआ आसान

- sso.rajasthan.gov.in/br.raj.nic.in पर लॉग ऑन करें या ई-मित्र से आवेदन करें
- अपने पहले से रजिस्टर्ड बिज़नेस का सरकार द्वारा स्वतः ही जारी किया गया बिज़नेस रजिस्ट्रेशन नम्बर देखें
- आपका बिज़नेस रजिस्ट्रेशन नंबर जारी नहीं हुआ है तो वेबसाइट पर आवेदन करें। आवेदन के पश्चात् रजिस्ट्रेशन नंबर स्वतः सृजित (ऑटो जनरेट) हो जाएगा।

आवेदन करने की सुविधा ज़िला / ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय से भी उपलब्ध

BRN की सहायता से Single Window Clearance System के अंतर्गत 11 विभागों की 56 सेवाओं के लाभ लिए जा सकते हैं।
BRN प्राप्त कर swcs.rajasthan.gov.in पर लॉग ऑन करें।



ज़्यादा जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर
1800-180-6785
पर सम्पर्क करें



भामाशाह
योजना

भामाशाह नामांकन करवाना, छूट गये या नये सदस्य जुड़वाना, बैंक खाता, पेंशन, नरेगा, छात्रवृत्ति नम्बर या मोबाइल नम्बर जुड़वाना या भामाशाह में अन्य किसी जानकारी में बदलाव के लिए अपने नज़दीकी ई-मित्र पर आर्यें।

आयोजना विभाग, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान